

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र० ।



विलोपित

विलोपित / विलोपित

प्र.क्र. R. 5042-2/17

1- चन्द्रशेखर प्रसाद पटेल पिता कमोद पटेल निवासी ग्राम व्योहरा

तहसील रायपुर कर्बु० जिला रीवा म०प्र०

आवेदक ।

बनाम

1- रामरंगीले पटेल पिता रामप्रताप पटेल निवासी ग्राम व्योहरा तह०

रायपुर कर्बु० जिला रीवा म०प्र०

अना० ।

राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध अन्तरिम आदेश न्यायालय
नायब तहसीलदार रायपुर कर्बु० के प्र०क्र० 54/
अ/6/15-16 पारित अन्तरिम आदेश दिनांक
14-11-16 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०
1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1- एक अनावेदक के द्वारा भूमि खसरा क्र० 450 रक्बा 0-036

आरे स्थित ग्राम व्योहरा न० 462 पटेल व्योहरा तहसील रायपुर

कर्बु० जिला रीवा की भूमि के खसरा सुधार का दावा नायब तहसीलदार

चन्द्रशेखर पटेल
प्र० ---

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5042-II/17

जिला-रीवा

चन्द्रशेखर प्रसाद पटेल / रामरशीले पटेल

(1)	(2)
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अखण्ड प्रताप सिंह अधिवक्ता द्वारा य. निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 54/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर, जिला रीवा न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>